

74-219

पतापत्नी पेरा इति। वादी अणु के अधिपत्रा
उपस्थित नहीं है। उक्त पत्रों के अधिपत्राओं
के आशय का अर्थ। किन्तु वादी के
अधिपत्रा एवं वादी उपस्थित नहीं है।
अतः अदम हाजी अदम पे रवी में पत्रों
रखीज। डिफा जाता है। बाद दाखला
पतापत्नी डिफा सुभा ही पर नम्बर के
द्वारा। डिफा पुस्तक अथा।

३

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (मीलवाड़ा).